(घ) सरका. ने इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) चूंकि पुलिस और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, अत: अपराधों का पंजीकरण करना जांच करना, ता लगाना और रोकथाम करना मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। संदेहास्पद स्थितियों में लापता हुई विवाहित महिलाओं संबंधी आंकड़े एक पृथक शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1996 के दौरान घटित "अपहरण एवं व्यपहरण और पति एवं उसके संबंधियों द्वारा निर्दयता करने" की घटनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना विवरण में संलग्न है। (**नीचे देखिए**)

केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हुई अत्याचार की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करती है। यह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में आवश्यक रूप से किये जाने वाले निवारात्मक दण्डात्मक और पुनर्वासीस उपायों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई योजनायें चलायी हैं।

विवरण

वर्ष 1996 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों की घटनायें (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार)

क्रम सं.	राज्य	अपहरण एवं व्यपहरण	पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	अनुक्तियां (महीना जिस तक के आंकड़े दिए गए हैं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	53	2386	नवम्बर
2.	अरूणचल प्रदेश	13	0	सितम्बर
3.	असम	600	236	नवम्बर
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	--
5.	गोवा	10	12	
6.	गुजरात	599	1910	
7.	हरियाणा	373	485	
8.	हिमाचल प्रदेश	131	211	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	127	0	अगस्त
10.	कर्नाटक	332	1383	
11.	केरल	167	881	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	1561	2057	
13.	महाराष्ट्र	940	8589	
14.	मणिपुर	53	2	
15.	मेघालय	0	0	फरवरी
16.	मिजोरम	3	0	
17.	नागालैंड	0	0	
18.	उड़ीसा	316	396	अक्तूबर
19.	पंजाब	184	194	
20.	राजस्थान	2488	3900	
21.	सिक्किम	8	1	
22.	तमिलनाडु	568	366	
23.	त्रिपुरा	45	69	
24.	उत्तर प्रदेश	2562	3649	
25.	पश्चिम बंगाल	765	3181	
	कुल राज्य	12387	29910	
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और नि.द्वीप समूह	4	5	
27.	चण्डीगढ़	26	13	
28.	दा. और न. हवेली	3	6	
29.	दमण और द्वीव	उ.न.	उ.न.	
30.	दिल्ली	944	150	
31.	लक्षद्वीप	0	0	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	5	2	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	982	176	
	कुल (अखिल भारत)	13369	30086	

Jain Commission Report

835.SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether complaints have been received by Government that certain documents of sensible nature are not being made available to the Jain Commission;

(b) whether it is also a fact that a demand has been made that the Commission's interim report be made public; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) Yes, Sir, but the Government is committed to extend full co-operation to the Jain Commission of Inquiry and is extending the same.

(b) and (c) The Interim Report of the Jain Commission of Inquiry has already been placed before the Parliament on 20.11.1997.

1984 के दंगा पीड़ित लोगों के आश्रितों का पुनर्वास

836. **श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1984 के दंगों में देशभर में मारे गये सिखों के समस्त आश्रितों का पुनर्वास सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मारे गये सभी सिखों के आश्रितों को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार साढ़े तीन लाख रूपये के हिसाब से मुआवजा दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार देश में 1984 के दंगों में मारे गये सिखों के आश्रितों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई मुआवज़ा राशि देने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की तैनाती

837. **श्री मूल चन्द मीणा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जनजाति के कुल कितने पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त और थानाध्यक्ष तैनात हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उन्हें किन-किन स्थानों पर तैनात किया गया है; और

(ग) क्या अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को जिलों अथवा पुलिस थानों में तैनात नहीं किया गया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) इस समय अनुसूचित जनजाति के 7 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, 18 सहायक पुलिस आयुक्त और 4 स्टेशन हाउस आफीसर अतिरिक्त स्टेशन हाउस आफीसर दिल्ली पुलिस में तैनात हैं। केवल दो मामलों को छोड़कर, जहां अधिकारी दिल्ली के बाहर विभिन्न क्षमताओं में पदावधि पर थे, शेष सभी पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में तैनात रहे थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

दिल्ली पुलिस की तैनातियों में भारी भ्रष्टाचार

838. **श्री मुलचन्द मीणा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस में थानों व जिलों में तैनाती करते समय भ्रष्टाचार किया जाता है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस के थानों में भ्रष्ट तरीकों से करोड़ों रुपए एकत्रित कर के प्रतिमास पुलिस आयुक्त को दिए जाते हैं; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन आरोपों की जांच करवायेगी ताकि सत्य सामने आ सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) इस बात का विश्वास करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि दिल्ली के थानों अथवा जिलों में पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है।

Status of Assam Accord

839.SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the dtails of the latest status on different items of Assam Accord and presents Prime Minister's announcements on development of North-Eastern Region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): Most of the Clauses of the Assam Accord stand implemented, the details of which are given in the attahced Annexure. [*See Appendix 182 annexure No. 17*]

The information regarding status of Prime Minister's announcements on development of North-Eastern Region is being collected and will be laid on the Table of the House.

सीमा सुरक्षा बल की घटती कार्यक्षमता

840. **श्री राम जेठमलानी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल को 280 किलोमीटर लम्बी भारत पाक सीमा पर चौकसी करने के